# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

## पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 90/2014

चमकौर सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थी

बनाम

1. गीतिका पत्नी संजय कुमार पुत्र हरी कुमार जाति महेश्वरी निवासी चक 4 बी एन डब्ल्यू (बनवाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्त्यार खास प्रदीप कुमार पुत्र भीखमचन्द पेडीवाल जाति महेश्वरी निवासी चक 4 बी एन डब्ल्यू (बनवाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।

2. बलवीर सिंह | पिसरान कुण्डा सिंह
3. हरदीप सिंह |
4. मिठू सिंह |
5. सुबा सिंह पुत्र कपूर सिंह
6. करणजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह
7. सन्दीप कौर पुत्री जगदेव सिंह
8. मनदीप कौर पुत्री जगदेव सिंह

(2 से 8) जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

9. रमणदीप कौर पुत्री जगदेव सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता करणदीप कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

10. गुरनाम कौर पत्नी मुख्त्यार सिंह
11. बलविन्द्र सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह

(10 व 11) जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

12. चन्दसिंह
13. सितल सिंह
14. दान सिंह
15. गुरदर्शन सिंह

(12 से 15) पिसरान महला सिंह जाति जटसिख निवासी वान्दर रोड तहसील बाघा पुराना जिला फरीदकोट पंजाब।

30/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

16. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।

---रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

दिनांक 17.09.2014

उपस्थितिः–

श्री मोहनलाल माहर, अभिभाषक अपीलांट

श्री जगमोहन आहुजा, अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक रेस्पों. सं. 7 से 10

निर्णय दिनांकः 30.08.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिया/ रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53, 188 का पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की मद सं. 2 में कुल 18.989है0 भूमि में से वादिया का 1.753है0 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादिया का चक 4 बी एन डब्लयू के मु.नं. 123 के कि.नं. 1, 2, 9 से 12 , 19, 20 की 1.753है0 भूमि पर कब्जा काश्त है। अतः वादिया का खाता अलग किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 15 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादिया के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें। प्रतिवादी सं. 5 से 11 ने जबाब पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया। दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा 6 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 01.08.2014 को वादिया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी हुई। विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 17.09.2014 को अन्तिम डिक्री जारी की गई जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की है एवं भूमि की

30/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किस्म अनुसार विभाजन नहीं किया है। अधी. न्यायालय द्वारा वादी रेस्पों. सं. 1 का विभाजन तहसीलदार की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर किया गयाा है। अधी. न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारों को सुना नहीं गया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु कायम किये गये एवं दिनांक 01.08.2014 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं विभाजन के प्रस्ताव मंगवाये गये। विभाजन के प्रस्ताव अनुसार अधी. न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री जारी की गई है। इसके अलावा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद को चुका है जितना हिस्सा रेस्पों. का बनता है उतना ही हिस्सा रेस्पों. का बनता है। इसके अलावा भूमि का रूपान्तरण हो चुका है। विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं है। अपीलांट की अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.09.2014 अन्तिम डिक्री के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है जो अधी. न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.08.2014 द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सादुलशहर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौके पर कब्जा अनुसार दावा फाइनल डिक्री किया है। अपील में मुख्य आक्षेप लगाया है कि वादी(रेस्पों.) को नहरी एवं अच्छी भूमि दी गई है जबकि राज.काश्त.अधि.1955 की धारा 53 अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि के विभाजन का निर्देश देती है जिसकी पालना नहीं की गई है।

अधी. न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि वादिया/रेस्पों. सं. 1 विवादित आराजी की कृषक खातेदार, जरिये बेचान दस्तावेज भूमि कय करने से बनी बेचान दस्तावेज अधी. न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 2ए प्रदर्शित हुआ है जिसमें अंकित है कि रेस्पों. द्वारा नहरी भूमि कय की गई है। भूमि कय किये जाने के पश्चात कयशुदा भूमि का नामान्तरण रेस्पों. के नाम दर्ज होकर जमाबन्दी में अंकित हुआ है। इन कार्यवाहियों में राजस्व

30/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र कमांक राम/भू.अ./जी. 3/62/2014/10102 दिनांक 20.06.2014 अनुसार नामान्तरणकरण तभी तस्दीक होगा जब नामान्तरणकरण की पुस्त पर इसकी तरमीम हो। अतः जमाबन्दी में अंकन से पूर्व नामान्तरणकरण फाईल पर तरमीम इस बात का प्रमाणितकरण है कि केता द्वारा जमीन का कब्जा कहां प्राप्त किया है। उसी कब्जा आधारित दावा डिकी हुआ है। अतः अपीलांट का कथन कि रेस्पों. को अच्छी भूमि दी गई है, रिकार्ड से साबित नहीं होता है।

रेस्पों. द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का रूपान्तरण भी करवाया है जो आवेदन के प्रारूप फार्म B ( नियम 9(3)(4) एवं 6 नियम 2007 के बिन्दु सं. 5 में भूमि का विस्तृत demarcation आवेदन में अंकित करना mandatory है जिसका सत्यापन तहसीलदार द्वारा किया जाता है। अतः रेस्पों. की क्रयशुदा भूमि का रूपांतरण हुआ है तथा रूपांतरण वही भूमि का हुआ है जो बंटवारा में उसे प्राप्त हुई है। अतः अपीलांट के आक्षेप रिकार्ड से साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज [illegible] अधी. न्यायालय के निर्णय में कोई हस्ताक्षेप की गुंजाइस नहीं [illegible]

[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

( ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

चमकौर सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। —— **अपीलार्थी**

**बनाम**

1. गीतिका पत्नी संजय कुमार पुत्र हरी कुमार जाति महेश्वरी निवासी चक 4 बी.एन.डब्ल्यू. (बनवाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्त्यार खास प्रदीप कुमार पुत्र भीखमचन्द पेडीवाल जाति महेश्वरी निवासी चक 4 बी एन डब्ल्यू (बनवाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. बलवीर सिंह | पिसरान कुण्डा सिंह
3. हरदीप सिंह |
4. मिठू सिंह |
5. सुबा सिंह पुत्र कपूर सिंह
6. करणजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह
7. सन्दीप कौर पुत्री जगदेव सिंह
8. मनदीप कौर पुत्री जगदेव सिंह

| जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

9. रमणदीप कौर पुत्री जगदेव सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता करणदीप कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
10. गुरनाम कौर पत्नी मुख्त्यार सिंह |
11. बलविन्द्र सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह |

| जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

12. चन्दसिंह |
13. सितल सिंह |
14. दान सिंह |
15. गुरदर्शन सिंह |

| पिसरान महला सिंह जाति जटसिख निवासी वान्दर रोड तहसील बाघा पुराना जिला फरीदकोट पंजाब।

30/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

16. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर।

--रेस्पोडेंटस

अपील संख्या 90/2014 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सादुलशहर मुर्ख्ख 17 माह 09 सन् 2014

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 30 माह 08 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री जगमोहन आहुजा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 एवं श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक रेस्पों. सं. 7 से 10 समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधी. न्यायालय के निर्णय में कोई हस्ताक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X ......) रूपये.. X अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 30.08.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर